

फर्द अहकाम
(नियम-26)

लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)
श्री राधेश्याम पिता चतुर्भुज सुथार निवासी रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला
चित्तौड़गढ़-312601

बनाम

विकास अधिकारी, निम्बाहेड़ा

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 13/2018

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|---|---|
| 30.01.2018 | <p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री राधेश्याम पिता चतुर्भुज सुथार निवासी रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 10.01.2018 को विकास अधिकारी, निम्बाहेड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर, विकास अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p> <p>चूंकि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p> | |